जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व–शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक......................../रा0

प्रेषक,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

दिनांक ....

विषय– सविवित्र कुदादा, अध्यक्ष, अजय महिला समूह, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम– अकोलकुटी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में की गई सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सविवित्र कुदादा, अध्यक्ष, अजय महिला समूह, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम– अकोलकुटी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – यथोक्त।

SD

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 1582(B) /रा० दिनांक 31.12.19.

प्रतिलिपि :– श्री हलधर महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/12/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

आदेश

कार्डधारियों के राशन कार्ड का अवलोकन एवं कार्ड में दर्ज प्रविष्टि तथा सुनवाई के दौरान उनसे प्राप्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि इन्हे वर्ष 2018 में अगस्त, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह का राशन अजय महिला समूह, ग्राम– अकोलकुटी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि इस समूह की अध्यक्ष सावित्रि कुदादा का कहना है कि दिसम्बर 2018 में पंजी के माध्यम से सभी को राशन वितरण कर दी है। राशन का वितरण दिसम्बर माह में कर देने के साक्ष्य के रूप में पंजी की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निदेश सवित्रि कुदादा, अध्यक्ष, अजय महिला समूह, ग्राम– अकोलकुटी को कई बार दिया गया लेकिन वह साक्ष्य के रूप में वितरण पंजी की छाया प्रति उपलब्ध नहीं की और न ही कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध करायी जिससे डीलर के कथन की संपुष्टि हो कि उनके द्वारा कार्डधारियों को वर्ष 2018 के अगस्त, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आदेश दिया जाता है कि अजय महिला समूह के साथ संबद्ध कार्डधारियों की संख्या का जाँच करें जिन्हे वर्ष 2018 के अगस्त, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह में राशन नहीं प्राप्त हुआ है। उसका आकलन कर आदेश निर्गत की तिथि से 04 (चार) माह के अन्दर राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अजय महिला समूह को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का वितरण का भी जाँच करेंगे। भण्डार पंजी और वितरण में यदि कोई अनियमितता पाया जाता है तो अजय महिला समूह के अध्यक्ष श्रीमती सावित्रि कुदादा पर कार्रवाई कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

आदेश की छाया प्रति सूचनार्थ एवं निदेशानुसार कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी को भेजे।

30/12/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।